

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4112 /

जबलपुर, दिनांक 18/08/2022

II-14-69/22

श्री अरूण नायर, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 17.05.2022 से 17.06.2022 तक 32 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही -

(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/4113 /

जबलपुर, दिनांक 18/08/2022

II-14-69/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/2038 इंदौर दिनांक 14.06.2022 के सदर में श्री अरूण नायर, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के आवेदन पत्र, चिकित्सा पर्ची एवं कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र संलग्न सहपत्रों को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.